# पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन संबंधी
## पार्बती जलविदुत परियोजना चरण-II की अर्ध-वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (अक्टूबर 2023 से मार्च 2024)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | परियोजना का नाम | पार्बती जलविद्युत परियोजना चरण-II (800 मेगावॉट) |
| 2 | परियोजना का प्रकार | जलविद्‌युत् परियोजना |
| 3 | स्वीकृति पत्र - कार्यालय ज्ञापन संख्या और तारीख<br>क) पर्यावरण संबंधी स्वीकृति | सं. जे-12011/34/2001-आईए-I, दिनांक 04.06.2001 |
| | ख) वन संबंधी स्वीकृति | i) 8-77/96 -एफसी, दिनांक 04.09.2001<br>ii) 8-77/96- एफसी, दिनांक 17.03.2004 |
| 4 | स्थान<br>क) जिला<br>ख) राज्य<br>ग) अक्षांश<br>घ) देशांतर | <br>कुल्लू<br>हिमाचल प्रदेश<br>$31^{0}$ 40′ उ0 से $32^{0}$ 15′ उ0<br>$77^{0}$ 08′ पू0 से $77^{0}$ 50′ पू0 |
| 5 | पत्र-व्यवहार का पता<br>क) संबंधित परियोजना प्रमुख का पता (पिन कोड और टेलीफोन/ फैक्स नम्बर सहित) | कार्यपालक निदेशक,<br>पार्बती जलविद्युत परियोजना (चरण-II),<br>एनएचपीसी लिमिटेड, नगवाईं,<br>जिला-मंडी, हिमाचल प्रदेश-175121<br>टेलीफोन नं: 01905-287771<br>फैक्स नं.: 01905-287772 |
| | ख) निगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड और टेलीफोन/फैक्स नम्बर सहित) | कार्यपालक निदेशक,<br>(पर्यावरण एवं विविधता प्रबंधन विभाग),<br>एन.एच.पी.सी. लिमिटेड,<br>सेक्टर 33, फरीदाबाद (हरियाणा)-121003<br>टेलीफोन/फैक्स नं. 0129-2254038 |
| 6 | पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं का विवरण | अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है। |
| 7 | परियोजना क्षेत्र का विवरण (भूमि का विवरण)<br>क) जलमग्न क्षेत्र:<br>(वन क्षेत्र और गैर-वन क्षेत्र) | कुल भूमि का विवरण: 214.0608 हेक्टेयर<br>(क) जलमग्न क्षेत्र :<br>i) वन भूमि : 12.4776 हैक्टेयर<br>ii) गैर-वन भूमि : 03.8007 हैक्टेयर |

<table>
<tr><td></td><td>ख) अन्य</td><td>(ख) अन्य<br>i) वन भूमि : 133.1431 हैक्टेयर<br>ii) गैर-वन भूमि : 64.6394 हैक्टेयर</td></tr>
<tr><td>8</td><td>परियोजना प्रभावित आबादी में जिन लोगों ने केवल घर/निवास खोए हैं, केवल कृषि भूमि खोई है, निवास और कृषि भूमि, दोनों खोए हैं तथा भूमिहीन मजदूरों/ दस्तकारों की गणना सहित परियोजना से प्रभावित परिवारों का विवरण<br><br>क)अनु.जा./अनु.ज.ज./आदिवासी<br>ख) अन्य</td><td>परियोजना से प्रभावित कुल परिवार : 947<br><table>
<tr><th>पी ए एफ - प्रकार</th><th>अनु.जा</th><th>अनु.ज.ज</th><th>अन्य</th><th>कुल</th></tr>
<tr><td>पूर्ण प्रभावित</td><td>123</td><td>02</td><td>314</td><td>439</td></tr>
<tr><td>आंशिक प्रभावित</td><td>117</td><td>0</td><td>391</td><td>508</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>240</td><td>02</td><td>705</td><td>947</td></tr>
</table><br>(क) अनु.जा -240, अनु.ज.ज - 02<br>(ख)अन्य - 705</td></tr>
<tr><td>9</td><td>वित्तीय ब्योरा:<br>(क) परियोजना की मूल लागत और उसके पश्चात संशोधित अनुमानित लागत और इस कीमत का संदर्भ वर्ष</td><td>क) ₹ 3919.59 करोड़ (दिसम्बर '2001 मूल्य स्तर)</td></tr>
<tr><td></td><td>(ख) अब तक इस परियोजना पर वास्तविक व्यय ।</td><td>ख ) ₹ 11126.68 करोड़ (लगभग) मार्च 2024 तक</td></tr>
<tr><td></td><td>(ग) पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिए आवंटित राशि</td><td>(ग) ₹ 105.74 करोड़ (अनुलग्नक–I के अनुसार)</td></tr>
<tr><td></td><td>(घ) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं पर अब तक किया गया वास्तविक व्यय ।</td><td>(घ) ₹ 78.76 करोड़ रुपये (मार्च 2024 तक)<br>(अनुलग्नक–I के अनुसार)</td></tr>
<tr><td>10</td><td>वन भूमि की आवश्यकताएं<br>(क) वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग के लिए अपवर्तन हेतु अनुमोदन की स्थिति<br><br>ख) वन भूमि में पेड़ों की कटाई के संबंध में स्थिति</td><td>(i) प्रारंभ में, 87.795 हेक्टेयर वनभूमि के अपवर्तन के प्रस्ताव को एमओईएफ द्वारा पत्र दिनांक 4.9.2001 द्वारा अनुमोदित किया गया था।<br>(ii) 145.6207 हेक्टेयर (87.795 हेक्टेयर + 57.8257 हेक्टेयर) वन भूमि की समग्र आवश्यकता के अपवर्तन के लिए संशोधित प्रस्ताव एमओईएफ द्वारा दिनांक 17.03.2004 के पत्रों के माध्यम से दिया गया था।<br>(iii) पत्र दिनांक 30.04.2008 के द्वारा 0.354 हेक्टेयर के पथांतरण के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।<br><br>ख) 8124 पेड़ों की हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम द्वारा कटाई की गई ।</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| 11 | निर्माण की स्थिति<br>क) आरम्भ करने की तारीख (वास्तविक और/ अथवा नियोजित)<br>ख) पूरा होने की तारीख (वास्तविक और /अथवा नियोजित) | (क) सितंबर 2002 (वास्तविक)<br><br>(ख) 31 दिसंबर 2024 (नियोजित) |
| 12 | विलम्ब के कारण यदि परियोजना अभी आरम्भ की जानी है। | परियोजना निर्माणाधीन है । |
| 13 | स्थल के दौरों का ब्यौरा<br>क) मानीटरिंग समिति द्वारा<br><br>ख) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा | पर्यावरण निगरानी समिति की 18वीं बैठक का आयोजन 26 सितंबर 2023 को परियोजना में किया गया ।<br><br>क्षेत्रिय कार्यालय (पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय), देहारादून के अधिकारियों द्वारा 26 सितंबर 2023 को आयोजित पर्यावरण निगरानी समिति की बैठक के दौरान परियोजना का दौरा किया गया । |
| 14 | पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में संक्षिप्त नोट | अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न। |

**अनुलग्नक-I**

**पार्बती जलविद्युत परियोजना चरण-II की पर्यावरण प्रबंधन योजना को लागू करने हेतु बजट का आवंटन एवं खर्च का विवरण** (मार्च 2024 तक)

| क्र.सं. | प्रबंधन योजना | प्रावधान/ आवंटन (₹ लाख में) | खर्च हुई राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|
| 1 | जैव-समृद्ध क्षेत्रों के लिए प्रबंधन योजना | 1741.40 | 1617.00 |
| 2 | मत्स्य विकास | 73.69 | 73.69 |
| 3 | जलाशय परिधि के चारों ओर हरित पट्टी का निर्माण | 20.00 | 1.34 |
| 4 | निर्माण क्षेत्रों का जीर्णोद्धार व भूसुदर्शनीकरण | 185.00 | 0.47 |
| 5 | डम्पिंग क्षेत्रों का पुनरुद्धार | 2190.64 | 488.33 |
| 6 | जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना | 2670.97 | 2669.26 |
| 7 | पुनर्स्थापना व पुनर्वास की योजना | 250.00 | 304.93 |
| 8 | आपदा प्रबंधन योजना | 296.00 | _ |
| 9 | प्रतिपूरक वनीकरण योजना | 109.71 | 109.71 |
| 10 | पेनल प्रतिपूरक वनीकरण की लागत | 5.945 | 5.945 |
| 11 | रियायत लागत | 100.00 | 100.00 |
| 12 | आर्थिक पुनर्वास योजना | 131.69 | 86.56 |
| 13 | सार्वजनिक स्वास्थ्य वितरण प्रणाली | 444.60 | 47.09 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण विभाग को भुगतान (पर्यावरण निगरानी योजना हेतु) | 254.35 | 348.39 |
| **पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई अतिरिक्त शर्तें** | | | |
| 15 | लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण और निवास सुधार | 2100.00 | 2000.00 |
| 16 | वन उपज को विनियमित करने के लिए चेक पोस्ट | -------- | 23.48 |
| | **कुल राशि** | **10574** | **7876.20** |

**अनुलग्नक-II**

**पर्यावरण स्वीकृति पत्र में विनिर्देशित शर्तों के अनुपालन की स्थिति (सितंबर 2023)**

*भाग-क विशिष्ट शर्तें*

| क्र. सं. | शर्तें | अनुपालन |
|---|---|---|
| **(क) विशेष शर्तें** | | |
| i | पुलगा बांध के ऊपरी प्रवाह व दाहिने किनारे पर विषम सामग्री से मिलकर बने हुए समूह के खंड मौजूद हैं। यह वांछनीय है कि नदी के ऊपर साइट का फेसियल ट्रीटमेंट इस स्ट्रेच में दिया गया है। इस जोन में फेज ट्रीटमेंट का प्रावधान बनाया जाना चाहिए ताकि ढलान का स्थायित्व बाधित न हो। परियोजना प्रबंधन / प्राधिकारी ने ऐसे उपायों को उस डीपीआर में शामिल करवाया है। इन्हें समग्र रूप में अपनाया जाना चाहिए। | जीवाश्म घाटी के उपचार का कार्य पूरा हो चुका है। |
| ii | बांध परिसर, शीलागढ़ परिसर तथा पावर हाउस परिसर में कुल 80.75 कि.मी. रोड़ नेटवर्क का निर्माण कार्य किया जाएगा। सामान्यत: सड़क निर्माण के कार्य करते समय सावधानी रखनी चाहिये और विशेषकर शीलागढ़ एवं जीवा नाला क्षेत्र में,क्योंकि ये वन क्षेत्र में आते हैं। | सड़कों के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका हैं और इनका रखरखाव किया जा रहा है। वन क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के दौरान उचित सावधानी बरती जाती है। |
| iii | परियोजना प्रभाव आकलन (ईआईए) प्रतिवेदन रिपोर्ट में पार्बती तथा इसके निकटतम अन्य घाटियों के लोगों के लिए एक सामाजिक-आर्थिक उत्थान योजना का सुझाव दिया गया है। इस योजना का अनुपालना किया जाना चाहिए। | आर्थिक पुनर्वास योजना हेतु ₹131.69 लाख के आवंटित बजट में से आर्थिक पुनर्वास योजना, विकासात्मक गतिविधियों के लिए ₹ 86.56 लाख का व्यय किया गया है' जिसका विवरण इस प्रकार हैं:<br>i) परियोजना प्रभावितों के लिए बुनाई प्रशिक्षण हेतु ₹ 42.80 लाख जीएम, डीआईसी, जिला कुल्लू(हि.प्र.), को जारी किए गए। अब तक 281 लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।<br>ii) परियोजना प्रभावित लोगों के कृषि प्रशिक्षण हेतु डॉ.वाई.एस.परमार बागवानी विश्वविद्यालय, बाजौरा, जिला कुल्लू को ₹ 4.66 लाख जारी किए गए ।<br>iii) कुल्लू जिला पशुपालन विभाग को पहले वर्ष के लिए पशु चिकित्सा दवाओं की खरीद हेतु ₹ 2.40 लाख जारी किए गए।<br>iv) जीएम, डीआईसी, कुल्लू, जिला कुल्लू (एचपी) को परियोजना प्रभावितों के लिए आईटीआई प्रशिक्षण हेतु ₹12.65 लाख जारी किए गए। कुल 64 उम्मीदवारों ने आईटीआई प्रशिक्षण प्राप्त किया।<br>v) दो पशु औषधालय के निर्माण पर ₹ 9.64 लाख रुपये खर्च किए गए।<br>vi) 10000 अनार के पौधों के वितरण तथा ग्राम पंचायत रैला के परियोजना प्रभावितों (पीएपी) के प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु ₹ 2.64 लाख खर्च किए गए। |

| | | |
|---|---|---|
| | | vii) “खेती व वितरण” पर एक दिवसीय कार्यक्रम/फील्ड एवं औषधीय पौधे वितरित करने के लिए मनिहार, ग्राम पंचायत परली में ₹ 27,700/- खर्च किए गए।<br>viii) ग्राम पंचायत रैला और ढोगी के परियोजना प्रभावितों (पीएपी) हेतु अनार के पौधों की खेती से संबन्धित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं 15,000 अनार के पौधे वितरण करने के लिए लिए ₹ 3,44,400/- खर्च किए गए।<br>ix) ग्राम पंचायत गडसा क्षेत्र के परियोजना प्रभावितों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम "मवेशियों का वैज्ञानिक प्रबंधन" हेतु ₹ 21,950/- खर्च किए गए।<br>x) ग्राम पंचायत रैला के परियोजना प्रभावितों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम "मवेशियों का वैज्ञानिक प्रबंधन" हेतु ₹ 17,200/- खर्च किए गए।<br>xi) दिनांक 18.01.2019 को ग्राम-पंचायत-गरसा के परियोजना प्रभावितों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम “अनार की खेती" हेतु ₹1,05,232/- खर्च किए गए।<br>xii) दिनांक 29.01.2020 को ग्राम नीनू ग्राम पंचायत ज्येष्ठ में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम “अनार वृक्षारोपण और वैज्ञानिक पशु प्रबंधन” के आयोजन हेतु ₹ 73,453/- खर्च किए गए।<br>xiii) परली ग्राम पंचायत में दिनांक 24.02.2021 और ग्राम शिल्हा में दिनांक 02.03.2021 को सेब वृक्षारोपण एवं मवेशियों का वैज्ञानिक प्रबंधन पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन हेतु ₹ 1,15,368/- खर्च किए गए।<br>xiv) दिनांक 17.03.2021 को पर्लि पंचायत के अंतर्गत मनिहार ग्राम के ग्रामीणों के बीच ₹18750/- मूल्य के 250 नग सेब के पौधे का वितरण किया गया।<br>xv) दिनांक 22.02.2022 को ग्राम मनिहार, परली ग्राम पंचायत एवं बरशैणी ग्राम पंचायत के ग्राम शिल्हा में दिनांक 16.03.2022 को सेब रोपण एवं पशु वैज्ञानिक प्रबंधन पर आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए रु. 1,81,837/- खर्च किए गए।<br>xvi) ग्राम मनिहार, ग्राम पंचायत परली में दिनांक 17.01.2023 को और ग्राम रैला, ग्राम पंचायत रैला में दिनांक 24.01.2023 को तथा ग्राम शिल्हा, ग्राम पंचायत बरशैणी में दिनांक 28.02.2023 को सेब वृक्षारोपण एवं मवेशियों के वैज्ञानिक प्रबंधन पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें रु. 2,71,221/- खर्च किए गए।<br><br>**कुल व्यय: 86,56,111.00 रुपये** |

| | | |
|---|---|---|
| iv | शीलागढ़ तथा पंचा नाला के बीच एवं शीलागढ़ व मनिहार नालाओं के बीच का प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र गहन चिंता का मुद्दा हैं। प्रस्तावित रोड निर्माण गतिविधियां एवं इन दोनों कार्यस्थलों पर खाई बांध निश्चित रूप से प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को अस्तव्यस्त व प्रभावित कर देंगे। इस पारिस्थितिक तंत्र में हुई क्षति की प्रतिपूर्ति करने के लिए हमें पर्यावरण प्रबंधन योजना (पृष्ठ 19-20) में प्रस्तावित उपायों का पालन करना चाहिए। | |
| | **इएमपी के पृष्ठ सं.19-20 में दर्शाए गए उपाय:** | |
| | (i)मजदुरों की जन-संख्या को न्यूनतम रखा जाएगा ताकि कार्य क्षेत्र को भीड़-भाड़ से बचाया जा सके, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां उच्च जैव विविधता है और वहाँ जानवर और पक्षी निवास करते हैं। | (i)मजदुरों की जनसंख्या को न्यूनतम रखा जा रहा है ताकि कार्य क्षेत्र को भीड़-भाड़ से बचाया जा सके। |
| | (ii)मजदूरों को जानवरों और पौधों की महत्वपूर्ण प्रजातियों की महता को रेखांकित करने एवं उनको नुकसान पहुंचाने के परिणामों से अवगत कराने हेतु एक दिन की अभिविन्यास कार्यक्रम का प्रशिक्षण मुहैया करवाया जाएगा। कार्यशाला में स्पष्ट रूप से उनके लिए सख्त दंडात्मक कार्रवाई का उल्लेख किया जाये यदि वे उपरोक्त की अवमानना करते हैं। | (ii)मजदूरों को नियमित रूप से दिशानिर्देश दिए जा रहे हैं। |
| | (iii) मजदुर इन दुर्लभ/लुप्तप्राय जानवरों/ प्रजातियों की कटाई और अवैध शिकार में लिप्त नहीं हों, इस बात की सख्त निगरानी की जानी चाहिये। | (iii)मजदूरों के आवागमन की न केवल एनएचपीसी कार्मिकों द्वारा बल्कि वन विभाग द्वारा भी सख्ती से निगरानी की जा रही है। |
| | (iv) मजदूरों के वन क्षेत्र में प्रवेश को निषेधात्मक बनाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए की किसी भी हालात में वे वन क्षेत्र में कोई बाधा उत्पन्न न कर सकें। दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जुर्माना लगाने और श्रम सेवाओं की समाप्ति के आवश्यक प्रावधान लागू किए जाएंगे। | (iv)प्रतिबंधों का सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है । |
| | (v) शीलागढ़ में अस्थाई मजदूर कॉलोनी स्थापित की जाएगी परंतु उसके उपरांत शीलागढ़ से पंचानाला के बीच कोई भी ऐसी कॉलोनी स्थापित नहीं करने दी जाएगी। | (v)वन-क्षेत्र में कोई लेबर कैंप नहीं है। |
| | (vi) मजदूरों को खाना बनाने में प्रयुक्त लकड़ी और चारे की तलाश में जंगल में न जाने देने के लिए, उनको इस प्रयोजन हेतु स्थापित मिट्टी के तेल एवं जलाने की लकड़ी की खरीद हेतु छूट प्रदान करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएं। | (vi) ठेकेदार द्वारा मजदूरों को मुफ्त ईंधन प्रदान करने का प्रावधान अनुबंध समझोते की शर्तों में सम्मिलित है। मजदूरों को रहना और खाना ठेकेदार द्वारा मुहैया करवाया जा रहा है ताकि जलावन के लिए लकड़ी-ईंधन पर कोई अनावश्यक दवाब न पड़े। |

| | | |
|---|---|---|
| | <br><br><br><br><br><br>vii. स्थानीय प्रशासन के सहयोग से रोड के आस-पास किओस्क, दुकान या ऐसा कोई ज्वाइंट/स्टॉल जो भीड़ को आकर्षित करे, को खोलने पर रोक लगाने का प्रयास किया जाएगा । परियोजना के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जहां तक इन पूर्वकालीन वासों में किसी गतिविधि का सवाल है, ये पूर्वकालीन प्राकृतिक वास सामान्य जनता की पहुँच से दूर रहने चाहिए।<br><br>viii. जियो-तकनीकी संभाव्यता की स्थिति में, यह प्रस्ताव किया जाता है कि जहां भी संभव है रोड़ के निर्माण से बचा जा सके और उनके स्थान पर छोटी दूरी के टनल बनाए जाएं। इस प्रकार बहुत सी अशांति एवं क्षरण से बचा जा सकेगा। | प्रमुख ठेकेदारों द्वारा मुफ्त ईंधन प्रावधान के तहत किए गए खर्च का ब्योरा **अनुलग्नक-II (ए)** के रूप में संलग्न है।<br><br>(vii)प्रत्यावर्तित वन भूमि में किसी भी तरह की निर्माण गतिविधि की अनुमति नहीं दी गई है।<br><br>(viii) इसको संज्ञान में लिया गया है । |
| v | निर्माण के दौरान शोर को न्यूनतम स्तर पर रखा जाए तथा शीलागढ़, हुरला एवं मनिहार नालों में जहां पर घना जंगल है तथा जहां आसपास के क्षेत्र में प्राकृतिक पशु एवं पक्षी निवास करते हैं, में रात को कोई गतिविधि नहीं होनी चाहिए। | यह शर्त वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा उनके पत्र सं. जे-12011/34/2001-आईए-I दिनांक 21/03/2002 के तहत नीचे उल्लिखित सीमा तक संशोधित की गई है।<br>*"शीलागढ़, हुरला एवं मनिहार नालों में जहां पर घना जंगल है और जहां आसपास के क्षेत्र में प्राकृतिक पशु एवं पक्षी निवास करते हैं, में रात को कोई ब्लास्टिंग गतिविधि नहीं होनी चाहिए।"*<br><br>खुले स्थान पर रात के समय में कोई विस्फोट गतिविधि नहीं की जा रही है। साइट प्रभारी द्वारा भूमिगत कार्यों के लिए भी ब्लास्टिंग गतिविधि संचालन के कार्यान्वियन में सावधानी बरती जा रही है। |
| vi | पार्बती घाटी में कलगा गाँव के आगे कोई स्थायी मानव बस्ती के निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि हिमालयन काले भालू प्राय: इस क्षेत्र में देखे जाते हैं। इसी तरह शीलागढ़, मनिहार ग्रामों एवं पँचा नाला क्षेत्र के आगे किसी भी मानव गतिविधि को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। | परियोजना क्षेत्र से आगे किसी भी स्थायी मानव बस्ती के निर्माण की अनुमति नहीं दी जा रही है। |
| vii | पार्वती घाटी में जीव-जंतुओं और वनस्पतियों के संरक्षण एवं बचाव के लिए ईएमपी में (पृष्ठ 12-16) पर दर्शाए गए प्रस्ताव के तहत एक संरक्षण सेल की स्थापना की जानी चाहिए। | पार्वती घाटी संरक्षण समिति का गठन जीएचएनपी द्वारा पत्र दिनांक 06/12/2017 द्वारा किया गया है। |
| viii | पुलगा, कलगा, तुलगा एवं झूनी ग्रामों हेतु आर्थिक पुनर्वास योजना के तहत फल एवं गैर फल फसलों के लिए इंटर क्रॉपिंग सिस्टम को माना जा सकता | आर्थिक पुनर्वास योजना के तहत परियोजना द्वारा उठाए जा रहे कदमों का विवरण मद सं. (iii) पर ऊपर दिया गया है। |

| | | |
|---|---|---|
| | है। | |
| ix | परियोजना के डीग्रेडेड/ऊसर जलग्रहण क्षेत्र का इस परियोजना के शुरू होने से 8 वर्षों के भीतर ₹ 2569.22 लाख की राशि की लागत से उपचार करना होगा। 800 आरएमटीएस के अलावा इसके लिए 980 हैक्टेयर भूमि का जैविक उपायों द्वारा तथा 2700 हैक्टेयर भूमि का अभियांत्रिकी उपायों द्वारा उपचार प्रस्तावित है। इसके उपचार के लिए डाइवर्सन ड्रेन, रेटेनिंग वाल तथा 600 वेजिटेटिव स्पर्स भी बनाए जाएंगे। | जलग्रहण क्षेत्र उपचार (केट) योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश वन विभाग को कुल ₹ 2669.26 लाख जारी किया गया तथा अतिरिक्त कैट योजना के तहत उपकरण मुहैया करवाए गए हैं।<br><br>हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा ₹ 1621.10 लाख की केट कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।<br><br>पत्र दिनांक 22.07.2020 के माध्यम से डीएफओ, पार्वती वन प्रभाग से शेष केट कार्यों को पूर्ण करने और सभी वन संभागों द्वारा किए गए व्यय का संकलन के उपरांत भौतिक व वित्तीय प्रगति रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया था। साथ ही सीए (CA) क्षेत्र के जियोटैग्ड मानचित्र प्रस्तुत करने और पर्यावरण मंजूरी पत्र के अनुसार शेष कार्यों को पूरा करने का भी अनुरोध किया गया था।<br><br>साथ ही, डीएफओ, पार्वती वन विभाग से पत्र दिनांक 28.08.2020 के माध्यम से परियोजना के संचालन चरण से पूर्व केट योजना का कार्यान्वयन को पूरा करने के लिए अनुरोध किया गया था । पत्र दिनांक 09.04.2021 और 15.06.2021 के माध्यम से शेष केट कार्यों को पूर्ण करने और भौतिक व वित्तीय प्रगति रिपोर्ट भेजने का अनुरोध भी किया गया था ।<br><br>इसके अलावा, डीएफओ, पार्वती वन विभाग को पत्र दिनांक 08.09.2021 और 08.04.2024 के माध्यम से जिगराई नाला में सुरक्षा कार्य और दिनांक 24.06.2021 और 26.09.2023 को परियोजना में ईएमसी बैठक के अनुसार शेष केट कार्यों को पूर्ण करने का अनुरोध भी किया गया।<br>सम्बंधित विषय पर विभिन्न अवसरों में डीएफओ, पार्वती वन प्रभाग, शमशी के साथ विस्तार से चर्चा की गई है और उन्होंने उपलब्ध संसाधनों के अनुसार इसे लागू करने के लिए परियोजना का आश्वासन दिया है।<br><br>पीसीसीएफ (एचओएफएफ), शिमला, राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को पत्र दिनांक 26.09.2022, 22.12.2023 और 16.04.2024 के माध्यम से परियोजना पूर्ण होने से पहले जलग्रहण क्षेत्र उपचार (केट) योजना को कार्यान्वित करने हेतु अनुरोध किया गया है। |
| ***भाग-ख : सामान्य शर्तें*** | | |
| i | निर्माण के कार्यों में लगे मजदूरों को परियोजना के खर्चे पर पर्याप्त मुफ्त ईंधन उपलब्ध कराया जाए ताकि अंधाधुंध पेड़ों की कटाई से बचा जा सके। | अनुबंध समझौते के तहत ठेकेदारों से कार्यस्थल पर कार्यरत मजदूरों के उपयोग के लिए पर्याप्त ईंधन का प्रबंध करने का प्रावधान है। उपलब्ध कराए गए मुफ्त |

| | | |
|---|---|---|
| | मजदूरों को ईंधन मुहैया करवाने के लिए परियोजना स्थल पर ईंधन का डिपो खोला जाना चाहिए। | ईंधन और उस पर व्यय की गई राशि का उल्लेख **अनुलग्नक II (ए)** में दिया गया है। |
| ii | मजदूरों को चिकित्सा एवं मनोरंजन की सुविधाएं मुहैया करवाई जानी चाहिए। निर्माण कार्य पर लगे मजदूरों की स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अच्छी तरह से जांच की जानी चाहिए तथा उनको कार्य अनुमति (वर्क परमिट) देने से पहले उनका पर्याप्त रूप से इलाज करवाया जाना चाहिए। | परियोजना के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को ये सुविधाएं एनएचपीसी तथा प्रमुख ठेकेदारों द्वारा मुहैया करवाई जा रही हैं। अनुलग्नक-**II (बी) तथा II (सी)** के रूप में विवरण संलग्न है। |
| **iii.** | निर्माण क्षेत्र एवं डम्पिंग साइटों का पुनरुद्धार समतलीकरण, गढ़ढों को भरना तथा भूसुदर्शनीकरण आदि के माध्यम से सुनिश्चित की जाए तथा उस क्षेत्र में सही ढंग से पेड़ लगाकर वनीकरण की जानी चाहिए। | परियोजना स्थलों पर निर्माण कार्य सितंबर 2002 में शुरू किया गया था और विभिन्न परियोजना स्थलों में निर्माण कार्य अभी भी प्रगति पर है।।<br><br>जो डम्पिंग साइट्स भर चुके है उसके ढलान का स्थिरीकरण मध्यवर्ती गेबियन प्रदान करके किया गया है। तत्पश्चात, सीएसआईआर के एक संस्थान "हिमालयन बाईरिसोर्स तकनीकी संस्थान, पालमपुर" (हिमाचल प्रदेश) के सहयोग से 11 बंद डम्पिंग साइटों पर आवश्यक वनीकरण एवं पुनर्वास उपाय किए गए हैं। उक्त पुनःस्थापित 11 डम्पिंग साइटों में से 06 डम्पिंग साइटों(वन भूमि) को वन विभाग को वापिस सौंप दिया गया है।<br><br>डीएस-15 के जीर्णोद्धार का कार्य ₹ 50.11 लाख की कुल लागत पर दिनांक 01.10.2019 के पत्र के माध्यम वन विभाग (डीएफओ, पार्वती वन प्रभाग, शमशी) को सौंपा गया है। जीर्णोद्धार का कार्य प्रगति पर है और डीएफओ द्वारा परियोजना से पहली और दूसरी किश्तों की निधि का उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) जमा किया गया है। डीएफओ को दिनांक 09.04.2021 को तीसरी किस्त का भुगतान कर दिया गया है और जीर्णोद्धार का कार्य प्रगति पर है। |
| iv. | बांध के बहाव क्षेत्र (डाउनस्ट्रीम) में, बाढ़ क्षेत्रीकरण दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। बाढ़ आशंकित क्षेत्र में किसी भी बस्ती को बसाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। | नदी/नाला बहाव क्षेत्र में बस्ती को बसाने की अनुमति नहीं दी गई है। जिला प्रशासन एवं वन विभाग भी इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। इस संदर्भ में उपायुक्त, कुल्लू को पत्र सं .एनएच/पीएचईपी-II/जीएम/06/3620-21 दिनांक 17/10/2006 के माध्यम से लोगों की स्थायी बस्ती पुलगा-डेम के बहाव (डाउनस्ट्रीम) क्षेत्र में बसने नहीं देने हेतु पत्र लिखा गया है । पार्वती नदी और मुख्य नालों के तट पर सावधानी सूचक बोर्ड प्रदर्शित किए गए हैं। |
| v. | मंत्रालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ को पुनरीक्षण हेतु अर्द्ध वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय शिमला को नियमित रूप से अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट भेजे जा रहे हैं। |
| 4 | पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ के अधिकारियों को निरीक्षण के | क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता रहता है । |

| | | |
|---|---|---|
| | दौरान परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पूर्ण सहयोग, सुविधाएं और सम्पूर्ण दस्तावेज /डाटा मुहैया करवाए जाने चाहिए। | परियोजना में 26/09/2023 को पर्यावरण निगरानी समिति की 18वीं बैठक आयोजित की गई थी जिसमें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रतिनिधि, डॉ. ए. के. दास, सहायक निदेशक भी उपस्थित रहे। |
| 5 | पर्यावरण सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी पूरी तरह से नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास है। | पर्यावरण सुरक्षा उपायों को लागू किया जा रहा है। |
| 6 | परियोजना के दायरे में परिवर्तन के मामले में, परियोजना को नए मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। | परियोजना के दायरे में कोई बदलाव नहीं हुआ है। |

**अनुलग्नक-II (ए)**

**<u>मुफ्त ईंधन प्रावधान के अंतर्गत प्रमुख ठेकेदारों द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा</u>**

(अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक)

| **क्रम सं.** | **ठेकेदार का नाम** | **लगाए गए मजदूर** | **मुफ्त ईंधन प्रावधान के अंतर्गत व्यय (रुपयों में)** |
|---|---|---|---|
| 1 | मैसर्स गैमन सीएमसी संयुक्त उद्यम (एचआरटी) | 200 | 375684/- |
| 2 | मैसर्स गैमन इंजी. व कॉन्ट्रैक्टर्स प्रा. लिमिटेड (एडिट-I शिलाह) | 210 | 402328/- |

## पार्बती जलविद्युत परियोजना चरण-II में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का ब्यौरा

(अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक)

**1.** डिस्पेंसरीज़**:** नगवाईं, गडसा, सैन्ज तथा मणिकर्ण में डिस्पेंसरीज़ है ।

**2.** चिकित्सा तथा पैरा-मेडिकल स्टाफ का विवरण:

i) मुख्य चिकित्सा अधिकारी – 02
ii) वरि. उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी – 01
iii) फार्मासिस्ट - 01
iv) स्टाफ नर्स - 01
v) ड्रेसर- 01
vi) अटेंडेंट (अस्पताल)- 02

**3.** अन्य उपलब्ध सुविधाएं: इसीजी, नेबूलाईजर, ऑक्सीजन सिलेंडर, एस/इ मशीन।

4. अंबुलेन्स (रोगी वाहन ): चालकों सहित अंबुलेन्स नगवाईं तथा सैन्ज में उपलब्ध कराई गई हैं।

**5.** स्थानीय नागरिकों को मुहैया करवाई गई चिकित्सा सुविधाएं **:-**

परियोजना की डिस्पेंसरीज़ में स्थानीय नागरिकों को चिकित्सीय परामर्श सहित दवाएं भी मुहैया करवाईं जाती हैं। उपचार से संबंधित माहवार ब्योरा निम्नलिखित है ।

| महीना | नागवाईं | सेंज | गरसा | मनिकर्ण | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| अक्टूबर 2023 | 75 | 23 | 5 | 11 | 114 |
| नवम्बर 2023 | 54 | 40 | 14 | 6 | 114 |
| दिसंबर 2023 | 70 | 35 | 14 | 24 | 143 |
| जनवरी 2024 | 47 | 47 | 16 | 17 | 127 |
| फरवरी 2024 | 56 | 54 | 16 | 10 | 136 |
| मार्च 2024 | 56 | 45 | 11 | 10 | 122 |
| **कुल** | | | | | **756** |

6. दिनांक 19.06.2023 को नगवाईं परियोजना अस्पताल में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। अडिट-I एवं पावर हाउस में 03 स्वास्थ्य जाँच शिविर, प्राथमिक चिकित्सा एवं सीपीआर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। गड़सा में दिनांक 17.07.2023 और 23.07.2023 को निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया।

8. इसके अलावा, ईएमपी के सार्वजनिक स्वास्थ्य वितरण प्रणाली के तहत सीएमओ, कुल्लू के सहयोग व सहारा एनजीओ के माध्यम से सैंज, गरसा, मणिकरण घाटी में परियोजना प्रभावित लोगों को चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं।

9. जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन आउटसोर्स एजेंसी एनवायरो-इंजीनियर्स, शिमला के माध्यम से किया जाता है।

**मुख्य ठेकेदारों द्वारा अपने मजदूरों हेतु मुहैया करवाई जाने वाली चिकित्सा सुविधाएं (पार्बती-II) :**
(अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक)

ए) **मैसर्स गैमन सीएमसी सयुंक्त उद्यम (एचआरटी)** : निम्नलिखित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं:

i) डिस्पैंसरी : 02 (ठेला एवं शीलागढ़)
ii) अंबुलेंस: 2 (ठेला एवं शीलागढ़)
iii) ओ टी (शीलागढ़)
iv) सर्जिकल किट (शीलागढ़)
v) सम्पूर्ण फ़र्स्ट ऐड किट (ठेला एवं शीलागढ़)
vi) डॉक्टर-01
vii) फरमासिस्ट-03 (01 ठेला एवं 02 शीलागढ़)

बी) **मैसर्स गैमन इंजी. व प्रा. लिमिटेड (शिलाह) -** एडिट-1, शिल्हा में निम्नलिखित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं:

i) डिस्पैंसरी : 01 (अडिट-। शीलहा)
ii) अंबुलेंस: 01 (अडिट-। शीलहा)
iii) सर्जिकल किट (अडिट-। शीलहा)
iv) सम्पूर्ण फ़र्स्ट ऐड किट (अडिट-। शीलहा)
v) फरमासिस्ट : 02 (अडिट-। शीलहा)

****

नोट: यह रिपोर्ट एमओईफ व सीसी को भेजे गए अंग्रेजी के रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है। भावार्थ में कहीं भी संदेह की स्थिति में कृपया अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत इस रिपोर्ट को देखें ।